रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 24—जुलाई 30, 2016, शनिवार/श्रावण 2—श्रावण 8, 1938

No. 28] NEW DELHI, JULY 24—JULY 30, 2016, SATURDAY/SRAVANA 2—SRAVANA 8, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री जयंत मगनलाल पटेल (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात), गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 134.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Jayant Maganlal Patel (PHC : Gujarat), Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of this service when he performs his duties as Judge, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री शुभ्र कमल मुखर्जी (मूल उच्च न्यायालय : कलकत्ता), कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 135.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Subhro Kamal Mukherjee (PHC : Kalcutta), Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as Chief Justice of the Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद), कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 136.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Vineet Saran (PHC : Allahabad), Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Orissa High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री राकेश रंजन प्रसाद (मूल उच्च न्यायालय : झारखंड), झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 137.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rakesh Ranjan Prasad (PHC : Jharkhand), Judge of the Jharkhand High Court, who has been transferred to Manipur High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of this service when he performs his duties as Judge, Manipur High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र हीरालाल वाघेला (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात), उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें बंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 138.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dhirendra Hiralal Waghela (PHC : Gujarat), Chief Justice of the Orissa High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Bombay High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 139.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Hemant Gupta (PHC : Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been transferred to Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Patna High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री दिनेश माहेश्वरी (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 140.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dinesh Maheshwari (PHC : Rajasthan), Justice of the Allahabad High Court, who has been appointed as Chief Justice of the Meghalaya High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Meghalaya High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री चिन्नसामि स्वामिनादन करणन (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास), मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कलकत्ता उच्च न्यायालय मे न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 141.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Chinnasamy Swaminathan Karnan (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Calcutta High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार मित्तल (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 142.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Satish Kumar Mittal (PHC : Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Rajasthan High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री अजित सिंह (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश), राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें गोहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 143.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ajit Singh (PHC : Madhya Pradesh), Judge of the Rajasthan High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Gauhati High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Gauhati High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री रामय्यगारि सूभाश रेड्डि (मूल उच्च न्यायालय : तेलंगाना और आंध्र प्रदेश), तेलगांना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए (नौ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 144.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ramayyagari Subhash Reddy (PHC : Telangana & Andhra Pradesh), Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh, who has been appointed as Chief Justice of the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Gujarat High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री राकेश तिवारी (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 145.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rakesh Tiwari (PHC : Allahabad), Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Calcutta High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली), दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए

हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 146.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Suresh Kumar Kait (PHC : Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and Andhra Pradesh, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 147.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली), दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 147.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rajiv Shakdher (PHC : Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 148.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात), गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 148.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Kaushal Jayendra Thaker (PHC : Gujarat), Additional Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Additional Judge, Allahabad High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री अरुण भाऊराव चौधरी (मूल उच्च न्यायालय : बंबई), बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 149.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Arun Bhaurao Chaudhari (PHC : Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been transferred to Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Punjab & Haryana High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 150.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री शान्तनु शरदचन्द्र केमकर (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 150.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Shantanu Sharadchandra Kemkar (PHC : Madhya Pradesh), Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Bombay High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 151.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान), राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 151.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Vineet Kothari (PHC : Rajasthan), Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार महान्ति (मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसा), उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 152.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Pradip Kumar Mohanty (PHC : Orissa), Judge of the Orissa High Court, who has been transferred to Jharkhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Jharkhand High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री नूति राम मोहन राव (मूल उच्च न्यायालय : तेलंगाना और आंध्र प्रदेश), तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 153.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Nooty Ramamohana Rao (PHC : Telangana & Andhra Pradesh), Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री रामलिंगम् सुधाकर (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास), मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 154.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ramalingam Sudhakar (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Jammu & Kashmir High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Jammu & Kashmir High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 155.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्रीमती सबीना (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 155.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shrimati Justice Sabina (PHC : Punjab and Haryana), Judge of the Punjab and Harayana High Court, who has been transferred to Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of her service when she performs her duties as Judge, Rajasthan High Court, outside of her parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमणियन (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास), मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें तेलगांना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 156.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice V. Ramasubramanian (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and Andhra Pradesh, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, High Court of Judicature at Hyderabad, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री अभय महादेव ठिपसे (मूल उच्च न्यायालय : बंबई), बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 157.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Abhay Mahadeo Thipsay (PHC : Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Allahabad High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायमूर्ति श्री हुलुवाडि गंगाधरप्पा रमेश (मूल उच्च न्यायालय : कर्नाटक), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए (आठ हजार रुपए मात्र) प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 158.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Huluvadi Gangadharappa Ramesh (PHC : Karnataka), Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 159.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (ड्रेसर) भर्ती नियम 1993, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध नर्सिंग परिचर और वार्ड ब्वाय के पद से है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रयोगशाला परिचर (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1990, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली पंचकर्म परिचर भर्ती नियम 1979, केन्द्रीय सरकार स्वा. योजना दिल्ली (स्ट्रेचर वाहक) भर्ती नियम,1977 और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (श्रेणी IV पद) भर्ती नियम 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में मेडिकल परिचर के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, मेडिकल परिचर समूह 'ग', भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्र सरकार का यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मेडिकल परिचर	963(2016) * सीजीएचएस दिल्ली – 412 सीजीएचएस अहमदाबाद – 27 सीजीएचएस इलाहाबाद – 19 सीजीएचएस बंगलुरू – 28 सीजीएचएस भोपाल -2 सीजीएचएस चंडीगढ़/ जम्मू – 2 सीजीएचएस देहरादून – 4 सीजीएचएस गुवाहाटी -11 सीजीएचएस मुंबई -86 सीजीएचएस कोलकाता - 57 सीजीएचएस, हैदराबाद - 44 सीजीएचएस जयपुर – 33 सीजीएचएस कानपुर - 35 सीजीएचएस लखनऊ -35 सीजीएचएस चेन्नई - 47 सीजीएचएस मेरठ –16 सीजीएचएस नागपुर – 27 सीजीएचएस पटना – 17 सीजीएचएस पुणे – 30	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' , अननुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन बैंड 1- 20200-5200 रुपये+ ग्रेड वेतन 1800रुपये	लागू नहीं

	सीजीएचएस रांची – 6 सीजीएचएस जबलपुर -10 सीजीएचएस भुवनेश्वर -6 सीजीएचएस शिलांग –2 सीजीएचएस त्रिवेन्द्रम – 7 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 वर्ष से 25 वर्ष तक **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण पत्र	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करना शामिल होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : कोई भी रिक्ति यदि किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने, बीमार होने अथवा अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए रिक्त रहती है तो उस पद को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्मिकों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा, जो- (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	लागू नहीं होता

	पद धारण किए हों, और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अर्हता और अनुभव रखते हों।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के मामले:** (1) अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य (3) उपनिदेशक (प्रशासन) , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) – सदस्य **दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के मामले में** (1) संबंधित इकाई के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप-निदेशक -अध्यक्ष (2) संबंधित इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी - सदस्य (3) उप निदेशक (प्रशासन),स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (4) संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य (यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी न हो तो केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग अथवा प्रभाग का कोई अन्य समूह 'क' अधिकारी) ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/03/2015-सीजीएचएस-I]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DIVISION)

New Delhi, the 26th July, 2016

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, (Dresser) Recruitment Rules, 1993, the Central Government Health Scheme, Delhi (Group 'D') post Recruitment Rules, 1990 in so far as they relate to post of Nursing Attendant and Ward Boy, the Central Government Health Scheme, Laboratory Attendant (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1990, the Central Government Health Scheme, Delhi Panchkarma Attendant Recruitment Rules, 1979, the Central Government Health Scheme, Delhi (Stretcher Bearer) Recruitment Rules, 1977 and the Central Government Health Scheme (Class IV posts) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Medical Attendants in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Medical Attendant Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Attendant	963* (2016) 1. CGHS Delhi – 412 2. CGHS Ahmedabad – 27 3. CGHS Allahabad – 19 4. CGHS Bangalore – 28 5. CGHS Bhopal – 2 6. CGHS Chandigarh/ Jammu – 2 7. CGHS Dehradun – 4 8. CGHS Guwahati – 11 9. CGHS Mumbai – 86 10. CGHS Kolkata – 57 11. CGHS Hyderabad- 44 12. CGHS Jaipur – 33 13. CGHS Kanpur – 35 14. CGHS Lucknow – 35 15. CGHS Chennai – 47 16. CGHS Meerut – 16 17. CGHS Nagpur – 27 18. CGHS Patna – 17	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial, Non- Gazetted.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.1800/-.	Not applicable

	19. CGHS Pune - 30 20. CGHS Ranchi – 6 21. CGHS Jabalpur – 10 22. CGHS Bhubaneshwar- 6 23. CGHS Shillong – 2 24. CGHS Trivandrum – 7 *Subject to variation dependent on workload.			

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years **Note 1**.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (and not the closing dates for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) **Note 2**.- In the case of recruitment made through employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) 10^{th} pass from a recognised Board; and (ii) Certificate in First Aid from Central Government or State Government recognised institutions.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years. **Note**: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. **Note** .- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and	Not applicable

	(b) possessing the qualification and experience for direct recruits under column (7).	

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- **In the case of Central Government Health Scheme Organisation, Delhi:** 1. Additional Director (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Chairman 2. Joint Director, Central Government Health Scheme (Head Quarter) , Central Government Health Scheme - Member 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member 4. Administrative Officer Central Government Health Scheme (Head Quarter) - Member **In the case of Central Government Health Scheme Organisation, other than Delhi:** 1. Additional Director or Joint Director or Deputy Director of the concerned Unit - Chairman 2. Medical Officer, In-charge of the concerned Unit - Member 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member 4. Administrative Officer of concerned Unit. [If there is no Administrative Officer, any other Group 'A' Officer of Central Government of other Department/Division]. - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/03/2015-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन दिल्ली के बाहर (आशुलिपिक श्रेणी-।।) भर्ती नियम, 1993 और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (आशुलिपिक श्रेणी-।।) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आशुलिपिक श्रेणी-।। के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन (आशुलिपिक श्रेणी-।।) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्र सरकार का यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी-।।	20 * (2016) 1. सीजीएचएस दिल्ली – 5 2. सीजीएचएस अहमदाबाद – 1 3. सीजीएचएस इलाहाबाद – 1 4. सीजीएचएस बंगलुरू – 1 5. सीजीएचएस मुंबई- 1 6. सीजीएचएस कोलकाता -1 7. सीजीएचएस, हैदराबाद -1 8. सीजीएचएस कानपुर – 1 9. सीजीएचएस लखनऊ - 1 10. सीजीएचएस चेन्नई - 1 11. सीजीएचएस नागपुर –1	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपये+ ग्रेड वेतन 2400 रुपये	लागू नहीं होता

	12. सीजीएचएस मेरठ –1 13. सीजीएचएस पटना – 1 14. सीजीएचएस पुणे – 1 15. सीजीएचएस जयपुर – 1 16. सीजीएचएस जबलपुर- 1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **नोट 1**: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापित की है।	(i) किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) कौशल परीक्षण मानदंड श्रुतलेख : 10 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट की दर से अनुलिपिकरण : हस्तचालित टाइपराईटर पर 65 मिनट (अंग्रेजी) और 75 मिनट (हिन्दी) या कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट (हिन्दी)	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा **टिप्पण** :- पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किन्हीं परिस्थितियों की वजह से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती की अर्हता एंव हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) में निम्नलिखित गठित होगी :- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, दिल्ली के मामले में : (1) अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य (3) उपनिदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) – सदस्य दिल्ली से बाहर, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के मामले में : (1) संबंधित इकाई के अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक – अध्यक्ष (2) संबंधित इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – सदस्य (3) उप निदेशक (प्रशासनिक) अथवा सहायक निदेशक (प्रशा.) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य (4) संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी -- सदस्य [यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी न हो तो केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग / प्रभाग का कोई समूह 'क' अधिकारी]	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-सीजीएचएस-I]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2016

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme Organisations outside Delhi (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 1993 and the Central Government Health Scheme (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-II in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.- The number of the said post, its classification and pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-II	20* (2016) 1.CGHS Delhi – 5 2.CGHS Ahmedabad – 1 3.CGHS Allahabad – 1 4.CGHS Bangaluru – 1 5.CGHS Mumbai – 1 6. CGHS Kolkata – 1 7. CGHS Hyderabad- 1 8. CGHS Kanpur – 1 9. CGHS Lucknow – 1 10. CGHS Chennai – 1 11. CGHS Nagpur – 1 12. CGHS Meerut – 1 13. CGHS Patna – 1 14. CGHS Pune - 1 15. CGHS Jaipur – 1 16. CGHS Jabalpur – 1 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400/-	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).	(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) Skill Test Norms **Dictation :** 10 mts@ 80 w.p.m. Transcription : 65 mts. (English)	Not applicable.

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	75 mts. (Hindi) on Manual Typewriter or 50 mts. (English) and 65 mts. (Hindi) (on Computer)	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment Through Staff Selection Commission **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- **In the case of Central Government Health Scheme Organisation, Delhi:** 1. Additional Director (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Chairman 2. Joint Director, Central Government Health Scheme (Head Quarter) , Central Government Health Scheme - Member 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member 4. Administrative Officer Central Government Health Scheme (Head Quarter) - Member **In the case of Central Government Health Scheme Organisation, other than Delhi:** 1. Additional Director or Joint Director or Deputy Director of the concerned Unit - Chairman 2. Medical Officer, In-charge of the concerned Unit - Member 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member 4. Administrative Officer of concerned Unit. [If there is no Administrative Officer, any other Group 'A' Officer of Central Government of other Department/Division]. - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2016-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (औद्योगिक सांख्यिकीय पक्ष में श्रेणी-III पदों पर भर्ती), नियम 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध),कोलकाता में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध), कोलकाता (पुस्तकालय और सूचना सहायक), भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना.-** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (i) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) **निरर्हता.–** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(6) **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

(7) **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	एक*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानेवाल रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी.– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो: और **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा

जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2013-प्रशा.III]

एस. के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 27th June, 2016

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Statistical Organisation (Recruitment to Class III posts in the Industrial Statistics Wing), Rules 1969, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Central Statistics Office(Industrial Statistics Wing), Kolkata in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1)These rules may be called the Central Statistics Office(Industrial Statistics Wing), Kolkata (Library and Information Assistant), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications.-** These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.-** The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or scale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library and Information Assistant.	One* *(2016) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band -2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/-	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations- (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With six years service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2800 or equivalent in the parent Cadre or Department; and **Essential :** (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institution. (ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable :** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. **Note1.-**The period of deputation(including short term contract) including the period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 2.-** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/1/2013-Admn. III]

S. K. ROY, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना :** ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा अधिकारी	*07 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30% प्रोन्नति द्वारा और 70% प्रतिनियुक्ति 'जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है' द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड – 2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में के ऐसे लेखाकार जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या ख. निम्नलिखित अर्हता में से कोई एक रखता हो :- (i) केंद्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा (एस ए एस) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण या समतुल्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड लेखा और बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है, पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है, या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि/ प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष 2.निदेशक/उप सचिव, संबद्ध प्रभाग —सदस्य 3.निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) —सदस्य 4.अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/07/2013-स्था. I]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 18th July, 2016

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Rural Development, Accounts Officer Recruitment Rules, 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Rural Development, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Rural Development, Accounts Officer Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the post specified in the column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Accounts Officer	*07 (2016) * Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Payband-2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs.4600/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	30% by promotion and 70% by deputation (including short term contract) failing which by Promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/ aavsorption, grades from which recruitment by promotion/deputation/ absorbtion to be made
11
Promotion: Accountant in Pay Band-2, Rs. 9300 - 34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade. **Note 1**:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (ISTC):

Officers under the Central Government or state Government or Union Territories Administration or Recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisations :-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or

(ii) with Five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the (Pay Band -2) scale of pay of Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent Cadre or Department; or

(b) possessing any one of the following qualifications :-

(i) pass in the Subordinate Accounts Service (SAS) or equivalent examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government

(ii) successful completion of Training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training & Management or equivalent training course and a minimum of Three years experience in Cash, Accounts and budget work.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For purposes of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service commission to be consulted in making recruitment
12	13
Group 'B' Departmental Committee for considering Promotion, consisting of : 1. Joint Secretary (Admn.) – Chairman 2. Dir./DS of concerned Division – Member 3. Dir./DS (Admn.) – Member 4. Under Secretary (Admn.) – Member	Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. A-12018/07/2013-Estt. I]

RAJEEV SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.